संख्या:45/1439जे0/22-3-14-103एचआरसी/2006

प्रेषक,

आर0के0 द्विवेदी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 13 अक्टूबर, 2014***

विषय: जिला कारागार, लखनऊ के विचाराधीन बंदी प्रमेश गुप्ता पुत्र श्री राम उग्रह गुप्ता की दिनांक 14-06-2006 को हुयी मृत्यु प्रकरण में मा0 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली के निर्देश संख्या-9839/24/2006-2007-सीडी, दिनांक 18-05-2012 के अनुपालन में मृतक बंदी के निकटस्थ आश्रितों/उत्तराधिकारियों को रू0-1,00,000/- (रू0 एक लाख मात्र) के मुआवजे की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली की संस्तुति दिनांक 18-05-2012 के अनुपालन में मृतक बंदी प्रमेश गुप्ता पुत्र श्री राम उग्रह गुप्ता के उततराधिकारी/आश्रितों को मुआवजा के रूप में धनराशि रू0-1,00,000/- (रूपये एक लाख मात्र) की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति वर्ष-2012-13 में शासनादेश पत्र संख्या-1354जे0/22-3-12-103एचआरसी/2006, दिनांक 23-08-2012 द्वारा निर्गत की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारगार, लखनऊ के पत्र संख्या-3117/लेखा/बंदी मुआजवा, दिनांक 26-09-2014 के अनुसार वित्तीय वर्ष-2012-13 हेतु स्वीकृत धनराशि रू0-1,00,000/- (रूपये एक लाख मात्र) का मुआवजा भुगतान मृतक बंदी के आश्रितों के चिन्हाकंन एवं वास्तविक उत्तराधिकारी का निर्धारण न होने एवं वित्तीय वर्ष की समाप्ति के कारण पूर्व स्वीकृत धनराशि समर्पित की जा चुकी है। अपर महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-28274/मा0अनु0(10)/117-2006, दिनांक 01-10-2014 द्वारा पुन: वित्तीय वर्ष-2014-15 में वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम श्री राज्यपाल महोदय, जिला कारागार, लखनऊ के विचाराधीन बंदी प्रमेश गुप्ता पुत्र श्री राम उग्रह गुप्ता, निवासी-मकान नं0-5पी0-4, जीतू का मकान, ड्राईवर कालोनी (रमईया जी परमजीत का मकान) तथा मकान नं0-12/01, डालीबाग कालोनी, थाना-हजरतगंज, जनपद-लखनऊ की दिनांक 14-06-2006 को हुयी मृत्यु प्रकरण में मा0 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली की संस्तुति दिनांक 18-05-2012 के अनुपालन में मृतक बंदी के निकटस्थ उत्तराधिकारियों/आश्रितों को मुआवजा के रूप में रू0-1,00,000/- (रू0 एक लाख मात्र) की धनराशि के भुगतान की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति चालू वित्तीय वर्ष-2014-15 में इस शर्त के अधीन प्रदान करते हैं कि मुआवजे के समतुल्य धनराशि प्रकरण में दोषी पायें गये अधिकारियों/कर्मचारियों से वसूलकर राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

----2

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उक्त के निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्यय के अनुदान संख्या-25 के लेखाशीर्षक-"2056-जेलें-आयोजनेत्तर-101-जेल-03-समस्त कारागार के मानक मद्-42-अन्य व्यय" के नामें डाला जायेगा तथा उपलब्ध प्राविधान से वहन किया जायेगा।

4- उक्त धनराशि का भुगतान/उपयोग मा0 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली द्वारा केस में पारित आदेश दिनांक 15-07-2014 में विहित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

5- प्रश्नगत प्रकरण में वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित नियमों तथा समय-समय पर जारी शासन के संगत आदेशों का प्रत्येक स्तर पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा जहां आवश्यक हो वहाँ सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

6- महानिरीक्षक कारागार, उ0प्र0 द्वारा उक्त धनराशि का भुगतान सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ (उ0प्र0) के माध्यम से यथाशीघ्र सम्बन्धित को कराते हुए उसकी पुष्टिकृत सूचना मा0 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग/शासन को 15 दिन के अन्दर उपलब्ध करायी जायेगी।

7- यह आदेश वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधायन के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा प्रदान की गयी सहमति संख्या-यू0ओ0-ए-2-145/दस-2014, दिनांक 23-06-2014 के अनुक्रम में गृह (मानवाधिकार) अनुभाग-1 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-1399/छः-मा0-1-14-21(विविध)/13, दिनांक 26-06-2014 के परिप्रेक्ष्य में जारी किए जा रहें है।

भवदीय,

(आर0के0 द्विवेदी)
उप सचिव।

संख्या:45/1439जे0(1)/22-3-14-उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ (उ0प्र0)।
3. मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
4. अधीक्षक, जिला कारागार, लखनऊ।
5. कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं अनुभाग-4
6. अनुसचिव, गृह (मानवाधिकार) अनुभाग-1 को उनके पत्रांक-578जी0/छः-मा0-1-14-3(213)/08 टीसी, दिनांक 08-09-2014 के संदर्भ में।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0के0 द्विवेदी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in